

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)


10-3-23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामगोपाल पुत्र झाबरमल वगै० बनाम गिरधारी पुत्र आनन्दीलाल वगै०

किरम मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर:- 44/2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 10.03.2023 | <p>प्रार्थी वकील श्री दीपक बाजिया एड० के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 07.03.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)</p> | |

